ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन / फैक्स नं0 :- +91-8126660575::
पता :- माई की मंडी निकट जवाड़ी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 3955 /12–1(2) दिनांक 02/06 /2025::

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद–रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुलाबराय तूना मोटर मार्ग के किमी0 2.00 से चिनग्वाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.412 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/38307/2019

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–IRO-DDN/FRCM/01/2022/1688 दिनांक 02.03.2023 एवं आपकी पत्र संख्या–2084 / 1जी–5095 (रा0रा0प्रा0) दिनांक 03.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक भारत सरकार के पत्र में उल्लिखित प्रकरण Agenda Item No. 02 में की वांछित सूचना अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0, रूद्रप्रयाग ने उनके पत्रांक–149 दिनांक 16.05.2025 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है, जो प्रभाग स्तर से संकलित कर बिन्दुवार/कॉलमवार निम्न प्रकार प्रेषित है–

<table>
<tr><th>बि.सं.</th><th>बिन्दु का विवरण</th><th>उत्तरालेख</th></tr>
<tr><td>1</td><td>The total area in which irregular muck dumping has been carried out (other than the approved sites) and additional area utilized for the construction work.</td><td>
प्रश्नगत प्रकरण में (मौके के अनुसार) स्वीकृत मक डम्पिंग स्थलों के अतिरिक्त भिन्न–भिन्न स्थलों पर अनियमित रुप से किया गया मलवा निस्तारण क्षेत्रों का विवरण निम्न प्रकार है–
<table>
<tr><th colspan="3">अतिरिक्त (अवैध) मक डम्पिंग स्थल</th><th rowspan="2">भूमि का प्रकार</th><th rowspan="2">अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>साईज (मी0)</th><th>क्षेफफल (वर्ग मी0)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>30 X 20</td><td>600.00</td><td rowspan="6">आरक्षित वन</td><td>अवैध डम्पिंग</td></tr>
<tr><td>2</td><td>100 X 12</td><td>1200.00</td><td>अवैध डम्पिंग</td></tr>
<tr><td>3</td><td>60 X 6</td><td>360.00</td><td>अवैध डम्पिंग</td></tr>
<tr><td>4</td><td>21 X 13</td><td>273.00</td><td rowspan="3">अवैध मलवा गिराया गया</td></tr>
<tr><td>5</td><td>22 X 15</td><td>330.00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>22 X 34</td><td>748.00</td></tr>
<tr><td>7</td><td>50 X 30</td><td>1500.00</td><td rowspan="4">ग्वाड एवं चिनग्वाड़ सिविल</td><td rowspan="4">अवैध मलवा गिराया गया</td></tr>
<tr><td>8</td><td>30 X 60</td><td>1800.00</td></tr>
<tr><td>9</td><td>20 X 60</td><td>1200.00</td></tr>
<tr><td>10</td><td>30 X 20</td><td>600.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>8611.00</td><td></td><td></td></tr>
</table>
अतः उक्त (1) अनियमित मलवा निस्तारण में कुल 8611.00 वर्ग मीटर अर्थात् 0.8611 है0 क्षेत्रफल प्रभावित हो रहा है।
(2) प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लाये गये अतिरिक्त क्षेत्रफल/प्रभावित भूमि का मौके पर राजस्व विभाग, प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 24.04.2023 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसके अनुसार उक्त प्रश्नगत मार्ग निर्माण में नाप भूमि के अतिरिक्त राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सिविल भूमि कुल लम्बाई 467 मीटर तथा 3269.00 वर्ग मीटर अर्थात् 0.3269 है0 क्षेत्रफल प्रभावित हो रहा है। (प्रति संलग्न है)
अतः अनियमित मलवा निस्तारण (0.8611 है0) तथा अतिरिक्त मार्ग निर्माण में (0.3269 है0) मौके के अनुसार कुल क्षेत्रफल 1.1880 है0 प्रभावित हो रहा है।
</td></tr>
</table>

क्रमशः–2 पर

Scanned with OKEN Scanner

<table>
<tr>
<td>2</td>
<td>Details of the vegetation/ trees affected due to the irregular muck dumping.</td>
<td>उक्त अवैध मक डम्पिंग से प्रभावित वृक्षों की संख्या एवं व्यासवार विवरण प्रकार है–
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>भूमि का प्रकार</th><th>प्रजाति</th><th>व्यासवर्ग</th><th>संख्या</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="3">आरक्षित</td><td rowspan="2">चीड</td><td>40–50</td><td>1</td></tr>
<tr><td>30–40</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>कलमिण्डा</td><td>10–20</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">सिविल</td><td rowspan="2">बांज</td><td>0–10</td><td>5</td></tr>
<tr><td>10–20</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="4">कुल योग</td><td>14</td></tr>
</table>
उक्त के अतिरिक्त कतिपय स्थलों पर प्रभावित वृक्ष मलवे से दबे हुये पाये गये, जिनकी गणना एवं व्यासवर्ग का अनुमान वर्तमान समय में संभव नहीं हो पाया।</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Details of trees affected due to construction of additional road length i.e. 2.10 Km. The State Govt will also clarify whether any permission has been granted for cutting of trees or for the construction of road in this additional length.</td>
<td>1. प्रश्नगत अतिरिक्त 2.10 किमी0 मार्ग का मौके पर राजस्व विभाग, प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण के अनुसार उक्त मार्ग में वन विभाग के नियंत्रणाधीन आरक्षित वन से बाहर की भूमि (निजी नाप भूमि तथा सिविल भूमि) प्रभावित हो रही है, जो कि संबंधित भू–स्वामियों एवं राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन में है।

2. संबंधित फील्ड कर्मियों द्वारा मौके पर गश्त/भ्रमण के दौरान पाया गया कि संबंधित प्रस्तावक विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा अतिरिक्त मार्ग निर्माण कार्य बिना अनुमति के किया गया, जिसमें निर्माण के पश्चात् प्रभावित वृक्षों की गणना कार्य किया जाना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि निर्माण कार्य से प्रभावित वृक्ष उखड़कर मलवे से दब चुके थे।

3. उक्त निमार्ण कार्य एवं वृक्षों के पातन हेतु प्रभाग स्तर से कोई भी अनुमति संबंधित प्रस्तावक विभाग/कार्यदायी संस्था को नहीं दी गई थी।</td>
</tr>
</table>

क्रमशः–3 पर

Scanned with OKEN Scanner

<table>
<tr>
<td>4</td>
<td>The State government should also provide the detailed violation report along with the name(s) of persons/ organizations responsible for this violation.</td>
<td>
1. प्रश्नगत प्रकरण में किये गये उल्लंघन हेतु संबंधित प्रस्तावक विभाग से जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी का नाम प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्राचार किया गया।
2. संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके उक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया कि मोटर मार्ग का निर्माण अनुबन्धित ठेकेदारों मै0 श्री महाबीर सिंह पंवार (जे0वी0), ग्राम–बधाणी, पो0–बांगर, जखेली, रुद्रप्रयाग एवं मै0 एस0एम0 राणा, कन्सट्रक्सन (प्रा0लि0), ग्राम–कमेडा, धुयाली, जनपद–रुद्रप्रयाग के द्वारा किया गया, जिस हेतु संबंधित ठेकेदारों द्वारा जारी जुर्मो से आंकलित धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की गई।
3. प्रभाग स्तर/रेंज स्तर से प्रश्नगत प्रकरण का समय–समय पर स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान एवं विभागीय पत्राचार के माध्यम से भी संबंधित प्रस्तावक विभाग/कार्यदायी संस्था को इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्त न हो हेतु निर्देशित किया गया।
4. उक्त उल्लंघन (अतिरिक्त मार्ग निर्माण एवं मलवा निस्तारण कार्य) से वन सम्पदा को हुई क्षति का आंकलन करते हुये संबंधित कार्यदायी संस्था के विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई–
<table>
<tr><th>जुर्म संख्या व दिनांक</th><th>जमा की गई धनराशि (रु.)</th><th>चलान व चैक सख्या एवं दिनांक</th></tr>
<tr><td>06/2020–21
25.10.2020</td><td>74898.00</td><td>005
14-12-2020</td></tr>
<tr><td>08/2021–22
31.10.2021</td><td>47138.00</td><td>04061121E0661342
25-11-2021</td></tr>
<tr><td>10/2021–22
01.12.2021</td><td>73206.00</td><td>040600524E0031664
15-05-2024</td></tr>
<tr><td>02/2022–23
17.08.2022</td><td>101918.00</td><td>04060823E063891
25-08-2023</td></tr>
<tr><td>03/2022–23
25.08.2022</td><td>477462.00</td><td>04060525E0010367
05-05-2025</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(कल्याणी)
उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– /दिनांकित।

प्रतिलिपि 1:– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को उनके पत्रांक–2273/16–1 दिनांक 09.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि 2:– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0, रुद्रप्रयाग को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(कल्याणी)
उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० (सिं.ख.), रूद्रप्रयाग।

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

पत्रांकः– 149 /पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं.ख.) रूद्रप्रयाग/वनभूमि दिनांक 16/05/2025

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग,
जनपद रूद्रप्रयाग।

विषयः– **जनपद–रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुलाबराय–तूना मोटर मार्ग के किमी0 2.00 से चिनग्वाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.412 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। PROPOSALNo. FP/UK/ROAD/37307/2019**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 22–02–2023 को भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून में आयोजित (FRCM) की बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित Agenda Item No-2 के क्रम में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर पुनः अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

बिन्दु संख्या	उल्लिखित बिन्दुओं का विवरण	अनुपालन आख्या
	Agenda Item No-2	
1	The total area in which irregular muck dumping has been carried out (other than the approved sites) and additional area utilized for the construction work.	मोटर मार्ग के स्वीकृत समरेखण के अन्तर्गत स्थित डम्पिंग जोनों के अतिरिक्त अत्यधिक मात्रा में मलवा निकलने के कारण समरेखण के साथ–साथ स्थित 8611 वर्गमीटर भूमि का अतिरिक्त उपयोग किया गया तथा 3269 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि का उपयोग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु किया गया। जिसके एवज में रैंज केश न0 08/2021–22, 10/2021–22 एवं 03/2022–23 के द्वारा क्रमशः धनराशि रू0 47138.00, रू0 73206.00 एवं धनराशि रू0 477462.00 का जुर्माना भर दिया गया है।
2	Details of the vegetation/trees affected due to the irregular muck dumping.	वन विभाग से सम्बन्धित/अपेक्षित है।
3	Details of trees affected due to construction of additional road length i.e. 2.10 km. The State Govt will also clarify whether any permission has been granted for cutting of trees or for the construction of road in this additional length.	प्रपोजल के अनुसार मोटर मार्ग को 10.00 किमी0 लम्बाई में ही काटा गया था। जिसको ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के पत्रांक– 1023/XI/1956 दिनांक 01–07–2019 के तहत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। मोटर मार्ग को अनुबन्ध संख्या–178/UT-10-53(I)/XIX/CE-URRDA/ 2019- 20 दिनांक 04–02–2020 द्वारा कार्य करवाया गया। अतिरिक्त 2. 10 किमी0 लम्बाई जिसके अन्तर्गत नाप भूमि एवं सिविल भूमि आती है, वृक्ष विहीन थी एवं राज्य सरकार द्वारा इस हेतु कोई अनुमति नहीं दी गयी थी।

क्रमशः 2

Scanned with OKEN Scanner

The State government should also provide the detailed violation report along with the name(s) of persons/organizations responsible for this violation.	उक्त मोटर मार्ग पर अनुबन्धित ठेकेदारों मै0 श्री महाबीर सिंह पंवार (जे0वी), ग्राम बधाणी, पो0 बांगर, जखोली,जनपद रूद्रप्रयाग एवं मै0 एस0एम0राणा, कन्सट्रक्सन (प्रा0लि0), ग्राम कमेडा, धुंयाली जनपद रूद्रप्रयाग के द्वारा मोटर मार्ग पर अतिरिक्त भूमि पर निर्माण कार्य किया गया, जिस हेतु सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा रैंज केश न0 08/2021–22, 10/2021–22 एवं 03/2022–23 के द्वारा क्रमशः धनराशि रू0 47138.00, रू0 73206.00 एवं धनराशि रू0 477462.00 का जुर्माना मर दिया गया है। (संलग्न –चालान जमा की छायाप्रति)

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(पवन कुमार सिह)
अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई सिंचाई खण्ड
रूद्रप्रयाग।

व० भू० छ०
आ० कार्य करें।
प्र० व० अधि०

संयुक्त निरीक्षण आख्या

...दिनॉक 24/4/2023 को जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ...आगराम-तूना मोटर मार्ग में स्वीकृति से भिन्न काटे गये मोटर मार्ग 2.10 किमी० मार्ग संरेखण में भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण में पी०एम०जी०एस०वाई० रुद्रप्रयाग से कनिष्ठ अभियन्ता, राजस्व उप निरीक्षक पुनाड़, राजस्व उप निरीक्षक तिलवाड़ा वन विभाग से वन दरोगा रुद्रप्रयाग अनुभाग, वन आरक्षी रुद्रप्रयाग बीट मौजूद थे। उक्त भूमि (मोलखण्डी) सिविल, तथा ग्वाड़ सिविल भूमि है। मोटर मार्ग 2 वर्ष पूर्व बना हुआ है। जिसका खसरा सं० कुल रकबा, भूमि की श्रेणी निम्न प्रकार है।-

...या	सिविल भूमि	खसरा सं०	कुल रकबा	भूमि की श्रेणी	अवैध मोटर मार्ग की लम्बाई
	(मोलखण्डी) सिविल चिनग्वाड़	311 207 298 293 77	0.150 0.220 0.050 0.041 0.044	उत्तराखण्ड सरकार 10(4) वीरान उ० स० 10(4) वीरान उ० स० 10(4) वीरान उ० स० 9(3) ख(2) झाड़ी उ० स० 10(4) वीरान	95 मी०
2.	ग्वाड़ सिविल	2122 2127 2138 2195 2236	0.335 1.715 0.065 0.020 0.031	उ० स० 10(4) वीरान उ० स० 10(4) वीरान उ० स० 10(4) वीरान उ० स० 10(4) वीरान उ० स० 10(4) वीरान	372 मी०
				कुल योग	467 मी०

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या सेवा में प्रेषित,

(पुरुषोत्तम भट्ट)
व०आ०
रुद्रप्रयाग, बीट

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र....पुनाड़...तह....रुद्रप्रयाग
जनपद-रुद्रप्रयाग

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र ...तिलवाड़ा
तहसील ...रुद्रप्रयाग
जनपद...रुद्रप्रयाग

Junior Engineer
P.M.G.S.Y (PIU)
Rudraprayag

(दिग्विजय सिंह सिजवाण)
वन दरोगा
रुद्रप्रयाग अनु०

Scanned with OKEN Scanner